न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/400

1. छोटू आत्मज ईदा आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
2. लखधर (सही नाम पीर मोहम्मद) आत्मज ईदा आयु 55 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
3. मुन्ना (सही नाम नन्हा) आत्मज छोटू आयु 32 वर्ष जाति मुसलमान तेली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मदरू आयु 35 वर्ष आत्मज श्री लाल जाति धाकड ।
2. महावीर आयु 38 वर्ष आत्मज प्रहलाद जाति धाकड निवासीगण ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 12/451

1. मदरूं आयु 35 वर्ष आत्मज श्री लाल जाति धाकड ।
2. महावीर आयु 38 वर्ष आत्मज प्रहलाद जाति धाकड निवासीगण ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लखधर (सही नाम पीर मोहम्मद) आत्मज ईदा आयु 55 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
2. छोटू आत्मज ईदा आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
3. मुन्ना (सही नाम नन्हा) आत्मज छोटू आयु 32 वर्ष जाति मुसलमान तेली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा अभिभाषक, अपील संख्या 12/451 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/400 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

2. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपील संख्या 12/451 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/400 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध होने तथा वादग्रस्त आराजी एक ही होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मदरू व महावीर ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 का आज दिन तक कभी भी किसी भी हैसियत से कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं रहा है । प्रतिवादीगण जबरन अवैध व अनाधिकृत रूप से ताकत के बल पर उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजी पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लें तो उक्त आराजी से उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

5. प्रतिवादी क्रम 2 ने जवाबदावा एंव काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.2002 के द्वारा वादीगण का वाद अदम साक्ष्य में खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.2003 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारान को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 के द्वारा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 2 छोटू द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 से व्यथित होकर दोनों अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपील पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. वादी अपीलान्ट मदरू एवं महावीर ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र में साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 310 की प्रमाणित प्रति है एवं विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है । नकल नामान्तरकरण संख्या 310 की प्रमाणित प्रति पेश की गई जबकि विक्रय पत्र प्रमाणित पेश नहीं किया है उक्त विक्रय पत्र को अपीलीय न्यायालय में साबित भी नहीं किया जा सकता । नामान्तरकरण संख्या 310 राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नकल नामान्तरकरण संख्या 310 की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपील संख्या 12/451 में अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था और जिसमें यह कथन किया था कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा में स्थित है । आराजी वादीगण के खाते एवं कब्जे की है । प्रतिवादीगण को कोई अधिकार इस आराजी के बाबत् नहीं है । प्रतिवादीगण जबरन इस पर कब्जा करने पर आमादा हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । प्रतिवादी कम 2 छोटू ने जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा बहैसियत खातेदार कृषक चला आ रहा है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर वो खातेदार बन चुके हैं । वादी का इस आराजी पर कब्जा नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर न तो अमोलकचन्द जैन और न ही वादी का कभी कब्जा रहा है । प्रतिवादी कम 2 छोटू वादग्रस्त *आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित* होने का अधिकारी है । वादी के द्वारा जवाब उल जवाब पेश किया किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की । तनकीयात पर निर्णय विधि–विरूद्ध पारित किया है । राजस्व रिकॉर्ड से वादी खातेदार प्रमाणित है प्रतिवादी ने संवत् 2034 से लेकर अब तक की खसरा गिरदावरी पेश नहीं की हैं । कयास के आधार पर प्रतिवादी का कब्जा मान लिया गया है । वादी के खाते में आराजी दर्ज होने से पूर्व यदि प्रतिवादीगण सिवायचक जमीन पर अतिक्रमी भी हो तो अतिक्रमी को काननून किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करते हुए दावा खारिज किया है कि वादी

ने रजिस्ट्री पेश नहीं की है जबकि वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है और खातेदार के साथ कब्जे की अवधारणा होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक थी अमोलक चन्द जी इसमें लीजदार दर्ज हुए थे कब्जा वादी का नहीं है इस करण उनका 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । कब्जे के आधार पर प्रतिवादी खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा 20–25 वर्ष से प्रमाणित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट संख्या 12/400 स्वीकार अपील संख्या 12/451 खारिज फरमाई जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादी क्रम 2 ने जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया था। काउन्टर क्लेम में कथन किया था कि प्रतिवादी क्रम 2 का उक्त भूमि पर 20–25 वर्षो से कब्जा है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी की ओर से रसीद की प्रति प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी सवंत् 2055 से 2058 प्रदर्श–2 पेश की है जिसमें वादीगण संभाग से सहखातेदार दर्ज है और नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श– 3 है, खसरा गिरदावरी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श– 4 संलग्न है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रतिवादी की ओर से भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– ए–1 पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 397/1 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 481 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा कायम किये हैं । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श–ए–2 के अनुसार खसरा नम्बर 481 की रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि अमोलक चन्द वल्द हमीर मल कौम महाजन के लीजदारी में दर्ज है । पत्रावली पर खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 प्रदर्श ए–3 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 397/1 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा आराजी बिला नाम सरकारी दर्ज है इसमें 07 बीघा 04 बिस्वा पर ईदया तेली ट्रेसपासर और लीजदार अमोलक चन्द जी दर्ज है । प्रदर्श– ए–4 खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2032 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 397/1 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा बिला नाम सरकारी दर्ज है और टिप्पणी के कॉलम में अमोलक, ईदा पुत्र अल्लारखा का नाम अंकित है । खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2028 प्रदर्श– ए–5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 397/1 की 21 बीघा 06 बिस्वा आराजी बिला नाम सरकार दर्ज है और इसमें टिप्पणी में अमोलक चन्द नाम अंकित है । इसके अलावा खसरा परिवर्तनशील साबिक खसरा नम्बर 397 प्रदर्श– ए–7 की प्रति भी पेश की गई है ।

17. पत्रावली पर एक रिपोर्ट आईएलआर संलग्न है जो दिनांक 28.05.2004 की है जिसमें ग्राम जरखोदा की खसरा नम्बर 481 की रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा आराजी पर छोटू पुत्र ईदाखॉ का मौके पर कब्जा बताया गया है और खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना बताया गया है ।

18. वादी की ओर से बयान महवीर पीडब्ल्यू–1, प्रहलाद पीडब्ल्यू–2, हनुमान पीडब्ल्यू– 3 कराए हैं ।

19. प्रतिवादी की ओर से बयान छोटू डीडब्ल्यू–1, गिरिराज डीडब्ल्यू–2, भैरू डीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

20. वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य से वे वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के समय से अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाये हैं । पत्रावली पर आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 28.05.2004 संलग्न है उसमें वादग्रस्त आराजी पर छोटू का कब्जा बताया गया है । छोटू के द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया है, ऐसी कोई प्लीडिंग्स भी वादी के द्वारा नहीं की गई है । इस प्रकार वादी अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है ।

21. जहॉ तक प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का प्रश्न है प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किये जा सकते । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी एवं प्रतिवादी कमं 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

22. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 12/400 एवं 12/451 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 बहाल रखा जाता है ।

23. निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/400

1. छोटू आत्मज ईदा आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
2. लखधर (सही नाम पीर मोहम्मद) आत्मज ईदा आयु 55 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
3. मुन्ना (सही नाम नन्हा) आत्मज छोटू आयु 32 वर्ष जाति मुसलमान तेली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मदरू आयु 35 वर्ष आत्मज श्री लाल जाति धाकड ।
2. महावीर आयु 38 वर्ष आत्मज प्रहलाद जाति धाकड निवासीगण ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 12/451

1. मदरू आयु 35 वर्ष आत्मज श्री लाल जाति धाकड ।
2. महावीर आयु 38 वर्ष आत्मज प्रहलाद जाति धाकड निवासीगण ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. लखधर (सही नाम पीर मोहम्मद) आत्मज ईदा आयु 55 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
2. छोटू आत्मज ईदा आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
3. मुन्ना (सही नाम नन्हा) आत्मज छोटू आयु 32 वर्ष जाति मुसलमान तेली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

ाः 31/दावा/2003

1. छोटू आत्मज ईदा आयु 52 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
2. लखधर (सही नाम पीर मोहम्मद) आत्मज ईदा आयु 55 वर्ष जाति मुसलमान तेली ।
3. मुन्ना (सही नाम नन्हा) आत्मज छोटू आयु 32 वर्ष जाति मुसलमान तेली निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मदरू आयु 35 वर्ष आत्मज श्री लाल जाति धाकड ।
2. महावीर आयु 38 वर्ष आत्मज प्रहलाद जाति धाकड निवासीगण ग्राम जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 12/451 में एवं अपील संख्या 12/400 में रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा एवं अपील संख्या 12/451 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/400 में अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 12/400 एवं 12/451 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06. 2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा